



NIMBUS PROJECTS LIMITED

(An ISO 9001 : 2015 Certified Company)

CIN : L74899DL1993PLC055470

ENTERPRISE
REAL
ESTATE

NPL/BSE/2024-25/78

October 28, 2024

To,
The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai — 400001

Ref: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

Sub: Update on co-development of “Phase-II of Sunworld Arista Project”

Scrip Code: 511714
Scrip ID: NIMBSPROJ

Dear Sir,

In continuation of our previous communications regarding co-development of Phase-II of the Sunworld Arista Project located at Sector 168, Noida projects, we would like to inform you that NOIDA Authority vide its 215th Board Meeting held on 26th October, 2024, has approved the appointment of Nimbus Projects Limited ('the Company') to act as a co-developer to expedite construction on delayed project at 'Phase-II of the Sunworld Arista Project' located at Sector 168, Noida. This move aims to ensure timely delivery for the apartment buyers, secure funding and receipt to the authority.

The Press release of NOIDA Authority is attached for your reference.

You are requested you to please take the above on record.

Thanking you
Yours faithfully,

For Nimbus Projects Limited

Ritika Aggarwal
(Company Secretary & Compliance Officer)
M.No. A69712

Encl.: As above

प्रेस विज्ञापित

(दिनांक 26.10.2024 को सम्पन्न हुयी प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक में लिये गये मुख्य निर्णय)

आज दिनांक 26.10.2024 को नौरडा प्राधिकरण की 215वीं बोर्ड बैठक मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 एवं अध्यक्ष, नौरडा प्राधिकरण श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में नौरडा सभागार में सम्पन्न हुयी। बैठक में श्री अरविंद कुमार सागर, प्रमुख सचिव- औद्योगिक (Online), श्री लोकेश एम0, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौरडा प्राधिकरण, श्री रविकुमार एन0जी0, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नौरडा प्राधिकरण, श्री अरुणवीर सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, श्री मनीष वर्मा, जिलाधिकारी, गौतम बुद्ध नगर एवं बोर्ड के अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित रहे।

बोर्ड बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं-

- पुरानी रूकी हुई भू-सम्पदा परियोजनाओं (लिगेसी स्टॉल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या-7774/77-4-2023-6011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में नीति/पैकेज को क्रियान्वयन के सम्बन्ध में संचालक मण्डल द्वारा प्रगति का अवलोकन किया गया। उपरोक्त शासनादेश के क्रम में अतिदेयताओं के भुगतान के उपरांत दिनांक 22.10.2024 तक 1643 रजिस्ट्रियां पंजीकृत कर दी गयी है।

संचालक मण्डल द्वारा जिन बिल्डरों से 25 प्रतिशत धनराशि प्राप्त नहीं हुयी है, उनसे प्रभावी पैरवी करते हुए अतिदेयताओं के भुगतान प्राप्त करते हुए अवशेष रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिये गये।

- पलैट बायर्स के हितों की रक्षा एवं शासन को स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से रेरा अधिनियम 2016 के सेक्शन 13 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार पलैट क्रेता द्वारा आवंटी बिल्डर को पलैट की कुल कीमत का 10 प्रतिशत राशि भुगतान करने के बाद पलैट क्रेता के पक्ष में आवंटी बिल्डर द्वारा प्रोपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी पे करते हुए एग्रीमेंट-टू-सेल/बिल्डर बायर एग्रीमेंट एकसक्यूट कर उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकृत कराने का निर्णय लिया गया।

अधिभाग प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त आवंटी बिल्डर द्वारा पलैट बायर्स की सूची के साथ पंजीकृत एग्रीमेंट-टू-सेल/बिल्डर बायर एग्रीमेंट की प्रति साथ में प्रस्तुत की जायेगी तथा प्राधिकरण, आवंटी बिल्डर एवं पलैट बायर के पक्ष में त्रिपक्षीय उप पट्टा प्रलेख निष्पादित कराते हुए उप निबन्धक कार्यालय में देय स्टाम्प शुल्क के साथ पंजीयन कराना होगा। त्रिपक्षीय उप पट्टा प्रलेख के उपरान्त आवंटी बिल्डर द्वारा पलैट बायर को पलैट/दुकान का कब्जा दिया जायेगा। उक्त प्राविधान ग्रुप हाउसिंग के नये आवंटनों पर लागू होगा।

- शासनादेश दिनांक 21.12.2023 के clause 9, 20 एवं 21(V) को-डेवलपर के प्राविधान के अनुसार संबंधित आवंटियों के अनुरोध पर भूखण्ड सं0 जीएच-01/सी, सैक्टर-168, नौरडा के आवंटी/बिल्डर M/s Sunworld Residency Pvt. Ltd. को परियोजना को पूर्ण करने हेतु M/s

Nimbus Projects Ltd. को सह-डेवलपर तथा भूखण्ड सं० जी०एच०-०१, सैक्टर-११५ की परियोजना में M/s Theme County Pvt Ltd को को-डेवलपर नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। इससे न केवल परियोजनाएं पूर्ण कर प्लैट बायर्स को प्लैट हस्तगत करने में आसानी होगी बल्कि प्राधिकरण को भी अपनी अतिदेयताओं के विरुद्ध प्राप्ति प्राप्तियां होंगी।

4. संचालक मण्डल द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के अनुज्ञा के आधार पर आवंटित सरकारी विभागों, पेट्रोल पम्प तथा बैंको द्वारा अतिदेयताओं का भुगतान न किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इन सभी ४९ अनुज्ञाधारी आवंटियों पर रू० १५७८.१४ करोड़ की अतिदेयता शेष है। संचालक मण्डल द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी defaulters को अतिदेयता के भुगतान हेतु अंतिम नोटिस निर्गत करे तथा भुगतान न प्राप्त होने पर बिल्डिंग सील करने के निर्देश दिये गये।
5. राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आई०टी०/आई०टी०ई०एस० के भू-उपयोगों के उपयोग हेतु रूचि प्रकट करने एवं राजस्व प्राप्ति/निवेश/रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से भूखण्ड सं० ०२/०९ सैक्टर १५४ (क्षेत्रफल १४८६७) तथा भूखण्ड सं० ०२/११ सैक्टर १५४ (क्षेत्रफल १४२४७) को डाटा सेंटर के स्थान पर पुनः आई०टी०/आई०टी०ई०एस० उपयोग के माध्यम से योजना प्रकाशित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। आई०टी०/आई०टी०ई०एस० तथा डाटा सेंटर के भूखण्डों की आवंटन दर समान है।
6. नौएडा प्राधिकरण में श्रम शक्ति आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा दिलाए जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा एक नीति बनाने तथा तदानुसार कर्मचारियों को उस नीति के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
7. दादरी-नौएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डी.एन.जी.आई.आर.) में जमीन अधिग्रहण जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये।
